


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती रेणू कॅवर बनाम कालूसिंह प्रार्थना पत्र संख्या 598/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00923)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.03.22	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 02.03.2020 के माध्यम से प्रार्थी की निगरानी क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की गई है जबकि निगरानी में अपीलाधीन पट्टा, ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका खाटूश्यामजी जिला सीकर को बतौर रेस्पोजेन्ट पक्षकार संयोजित किया जाना एवं प्रकरण का मेरिट पर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 02.03.2020 को प्रत्याहारित (Recall) किया जाता है तथा मूल निगरानी पुनः नम्बर पर ली जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता मूल पत्रावली रहे।</p> <p style="text-align: right;">  (दिनेश कुमार यादव) संभारणीय अधिवक्ता जयपुरा </p>	